पत्रांकः–14/ए0एफ0–21/2015 (अंश) –1526
बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक 29/09/2022

विषयः– मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज, बनकट, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को स्नातक कला संकाय के विभिन्न विषयों में सत्र 2022–25 एवं 2023–26 के लिए अस्थाई सम्बधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–बी०/379 दिनांक–26.02.2022 के द्वारा विषयाधीन महाविद्यालय को संबंधन प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। प्रस्ताव के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि परिनियम की कंडिका 15(1) एवं (2) में संध्याकालीन महाविद्यालय के सम्बंधन हेतु मापदण्ड निर्धारित है। परिनियम की कंडिका 15(1) में निमित प्रावधान अंकित हैः– An Evening college may be started for the benefit of office employees and other wages earners at such place as may be defined be the Syndicate.

उक्त प्रावधान के आलोक में सिंडिकेट द्वारा संबंधित महाविद्यालय के संबंध में परिनियमानुसार निर्णय नहीं लिया गया है तथा धारित शर्त को मोतिहारी डिग्री इवनिंग कॉलेज, बनकट, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण पूर्ण नहीं करता है।

अतएव संबंधित महाविद्यालय द्वारा मामले में संबंधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 21(2) (d) एवं राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम पत्रांक–1098 दिनांक 19.04.1986 (यथा अद्यतन संशोधित) में वर्णित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अस्वीकृति संसूचित की जाती है।

सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

S_AF_74